

5 शब्द

पतावली पेशा हुई। जहाँ व वकील जहाँ उपस्थित थी
इन्को अनुपस्थिति रहने के कारण प्रथम-पक्ष से
संबंधित सुल दावा अदम पैरवी अदम हाजती में स्वारिज
हो चुका है। जिससे यह प्रथम-पक्ष भी अदम आगे चलने
योग्य नहीं है।

अतः यह प्रथम-पक्ष भी इसी स्वरूप पर
स्वारिज किया जाता है। पतावली निजी में शुगर भी आवे
तथा तरलीय लकमिल की जाकर दारिजल दफ्तर की जावे।